कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
कुटुम्ब विहार, ग्रा० व पो० सिनौला
देहरादून– 248003

Office of Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam Mussoorie
Kutumb Vihar, P.O. Sinaula
Dehradun -248003

Email:jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक 2338 / 133 / 18 दिनांक 03/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :– मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत कैमलबैक जोन में ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या–FP/UK/Others/43838/2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक 28.08.2024 को ऑनलाईन पोर्टल पर **Query raise** की गयी है। जिसकी निराकरण आख्या अग्रलिखित है :–

S.No	Queries	Compliance
i.	The DFO shall submit the details of the NOC granted in the previous 3 STPs proposals	The NOC Granted in previous 3 STPs is as under :- a. STP Bhiladu, NOC has been granted by DFO Musoorie vide letter no 1634/12-1 dated 30.10.2021 at **(Annexure-I&II)** b. STP Company Garden NOC has been granted by DFO Musoorie vide letter no 1635/12-1 dated 30.10.2021 at **(Annexure-III&IV)** c. STP Dhobighat land ownership is of Nagar Palika Parishad, Mussoorie NOC of Nagar Palika Parishad Mussoorie is granted vide letter no vide letter number 9162/अधि0अधि0 / 2023–24 dated 18.10.2023 at **(Annexure-V)**
ii.	Is the previous 3 STPs are the part of forest area ? if so what is status of approval under FCA, 1980	a. STP Bhiladu land ownership is of Nagar Palika Parishad, Mussoorie. STP Bhiladu, NOC has been granted by DFO Musoorie vide letter no 1634/12-1 dated 30.10.2021 which is self explanatory **(Annexure-I&II)** b. STP Company Garden land ownership is of Nagar Palika Parishad, Mussoorie. STP Company Garden NOC has been granted by DFO Musoorie vide letter no 1635/12-1 dated 30.10.2021 which is self explanatory **(Annexure-III&IV)** c. STP Dhobighat land ownership is of Nagar Palika Parishad, Mussoorie NOC of Nagar Palika Parishad Mussoorie is granted vide letter no vide letter number 9162/अधि0अधि0 / 2023–24 dated 18.10.2023 at **(Annexure-V)**
iii.	DFO shall inspect the area and submit a detailed report for construction of previous three STPs	Detailed report to be submitted by your office.

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(संजीव वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

Van bhomi

Scanned with CamScanner

Annexure – I

193 (वनभूमि) 2021 की पत्रावली पृ० (– –) को Received

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail :-dfomus-forest-uk@nic.in, dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/fax 0135 2631765

संख्या– 1634 / 12-1 दिनांक:, मसूरी, 30/10 2021

NOC

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।

विषय :– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत भिलाडू में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सीवर लाईन, एवं मैनहोल चैम्बर निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 509 , दिनांक 15.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रकरण की जाँच वन क्षेत्राधिकारी,मसूरी से करवायी गई। उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून की संस्तुति तथा वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी वन्यजीव विहार विनोग की जाँच रिपोर्ट के अनुसार लाईब्रेरी जोन(भिलाडू) क्षेत्र मे 0.075 है0 में सैप्टिक टैंक, 0.1200 है0 क्षेत्रफल में सीवर लाईन एवं 0.0153 है0 क्षेत्रफल में मैन हॉल चैंबर, कुल 0.2103 है0 में नव–निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो कि वर्ष 1980 / ब्रिटिशकाल से पूर्व से निर्मित है।

उपरोक्त आख्या के आधार पर लाईब्रेरी जोन(भिलाडू) क्षेत्र में 0.075 है0 में सैप्टिक टैंक, 0.1200 है0 क्षेत्रफल में सीवर लाईन एवं 0.0153 है0 क्षेत्रफल में मैन हॉल चैंबर, कुल 0.2103 है0 में नव–निर्माण किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होंगे।

अतः विषयांकित प्रकरण में उक्त अनुसार अवगत होंवे।

भवदीया,

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, सुप्रीम कोर्ट, मॉनीटरिंग कमेटी, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, (देहरादून) ,मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन क्षेत्राधिकरी मसूरी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्र में कडी निगरानी रखी जाय। वन कानून के उल्लंघन की दशा में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय को भी सूचित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned with CamScanner

Annexure — 2

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून), कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0– सिनौला, देहरादून के पत्रांक 45/133/01 दिनांक 08.01.2021 के क्रम में उनके द्वारा नगरपालिका मसूरी की स्वामित्व वाली भिलाडू म्युनिसिपल आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि/क्षेत्रफल एवं नगरपालिका मसूरी की स्वामित्व वाली म्यूनिसिपल गार्डन लाईब्रेरी जोन (भिलाडू) म्युनिसिपल आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि/क्षेत्र में ब्रिटिशकाल अर्थात वर्श 1980 से पूर्व मे निर्मित सेप्टिक टैंको/सीवर लाईन जीर्ण शीर्ण संरचनाओं का उच्चिकरण कर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट करने हेतु अनुमति चाही गयी थी। तदानुसार प्रभागीय वनाधिकारी महोदया, मसूरी वन प्रभाग के पत्रांक 3571/12–1 मसूरी, दिनांक 06.02.2021 के अनुपालन मे दिनांक 10.02.2021 को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) के प्रतिनिधियों, नगरपालिका, मसूरी के मानचित्रकार व वन विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

1	श्री वी0पी0 रतूडी	सहायक अभियन्ता	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
2	श्री कमल किशोर	अपर सहायक अभियन्ता	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
3	श्री रितेष शर्मा	अपर सहायक अभियन्ता	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
4	श्री आदित्य शाह	मानचित्रकार	नगरपालिका परिशद्, मसूरी
5	श्री शिर्पा शर्मा	वन क्षेत्राधिकारी	मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग
6	श्री जयपाल सिंह रांगड़	वन दरोगा	मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग
7	श्री राजेश	वन बीट अधिकारी	मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग

लाईब्रेरी जोन (भिलाडू) में 0.075 है0 में सैप्टिक टैंक एवं 0.1353 है0 क्षेत्रफल में सीवर लाईन एवं मैन हॉल चैंबर पूर्व निर्मित है जो ब्रिटिषकाल/वर्ष 1980 से पूर्व मे निर्मित पाये गये।

प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। लाईब्रेरी जोन (भिलाडू) में नवनिर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नही होगें क्योंकि उक्त स्थलों पर पूर्व में निर्मित संरचनाऐ ब्रिटिशकाल/वर्श 1980 से पूर्व की निर्मित है।

(राजेश)
वन बीट अधिकारी
मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग

(श्री जयपाल सिंह रांगड़)
वन दरोगा
मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग

(श्री शिर्प्रा शर्मा)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन्य जीव विहार, विनियोग

(वी0पी0 रतूडी)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी

(श्री कमल किषोर)
अपर सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी

(श्री रितेश शर्मा)
अपर सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी

(श्री आदित्य शाह)
मानचित्रकार
नगर पालिका परिषद, मसूरी

Nirikshan

Scanned with CamScanner

133(वन भूमि)2021 की पत्रावली पर (-पत्र) Received

21/01/22

Annexure - 3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail :-dfomus-forest-uk@nic.in, dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax 0135 2631765

संख्या- 1685/12-1 दिनांक, मसूरी, 30/10/2021

सेवा में

NOC

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।

विषय :- मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत म्युनिसिपल गार्डन (कम्पनी बाग) में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 508 , दिनांक 15.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रकरण की जॉच वन क्षेत्राधिकारी,मसूरी से करवायी गई। उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून की संस्तुति तथा वन क्षेत्राधिकारी,मसूरी की जॉच रिपोर्ट के अनुसार म्युनिसिपल गार्डन (कम्पनी बाग) क्षेत्र में 0.0340 है0 में पूर्व निर्मित सैप्टिक टैंक का नव–निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो कि वर्ष 1980/ ब्रिटिशकाल से पूर्व से निर्मित है।

उपरोक्त आख्या के आधार पर म्युनिसिपल गार्डन (कम्पनी बाग) क्षेत्र में 0.0340 है0 में पूर्व निर्मित सैप्टिक टैंक का नव–निर्माण किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

अतः विषयांकित प्रकरण में उक्त अनुसार अवगत होंवे।

भवदीया,

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, सुप्रीम कोर्ट, मॉनीटरिंग कमेटी, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, (देहरादून) ,मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन क्षेत्राधिकरी मसूरी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जाय। वन कानून के उल्लंघन की दशा में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय को भी सूचित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

Scanned with CamScanner

Annexure — 4

15

परियोजना का नाम :— मसूरी सीवरेज योजना

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15/07/2013 एवं 16/08/2013 को मसूरी सीवरेज योजना के कम्पनी बाग जोन मे सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के पुर्ननिर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री हेमशंकर मैन्दोला वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी, श्री बलबीर सिंह रावत वन दरोगा मसूरी राजि मसूरी, नगर पालिका परिषद मसूरी/राजस्व विभाग की ओर से श्री आदित्य शाह, मानचित्रक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आर०डी० शुक्ला, सहायक अभियन्ता एवं श्री राजेन्द्र सिंह अपर सहायक अभियन्ता, द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु नगर पालिका मसूरी के स्वामित्व की कम्पनी गार्डन जोन की आरक्षित वन भूमि 0.0340 हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि ...X......हे0, वन पंचायत भूमि....X....हे0 एवं नाप भूमि ...X....हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्तावित स्थल का घनत्व (औसत)....0.01 से 0.05....तक है, प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

1. आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नही किया जाना है।
2. प्रस्तावित पुर्ननिर्माण कार्य पुरानी सीवर लाइन सीवर टेंक एव चैम्बरों के स्थान पर ही पुर्नगठन किया जाना है ये पुराने कार्य ब्रिटिश काल के दौरान से बने है।

संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वन विभाग प्रतिनिधि

नायब तहसीलदार
मसूरी

उप जिलाधिकारी
मसूरी, जिला देहरादून
उप–जिलाधिकारी
जि० देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Scanned with CamScanner

Annexure — 5

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी।

दूरभाष नं0 – 0135–2632251, फैक्स नं0 – 0135–2632039
ई मेल – [illegible]@gmail.com

पत्रांक [illegible] /[illegible]/2023–2024 दिनांक [illegible]/10/2[illegible]

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एव निर्माण निगम मसूरी देहरादून
[illegible] विहार मार्ग व पो0 सिनौला, देहरादून 248003

विषय – मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित STP निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2044 / 126 / 57 दिनांक 09–10–2023 द्वारा शहर के विभिन्न स्थलो पर एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गयी है।

S.N.	Capacity	Place
1	1.10 MLD (Bhiladu)	Community Septic Tank Near Mussoorie Stadium Bhiladu
2	0.70 MLD (Company Garden)	Community Septic Tank Near Valmiki Basti Company Garden
3	0.70 MLD (Arcadia)	Community Septic Tank Arcadia Camel Back Road
4	0.05 MLD (Dhobighat)	Community Septic Tank Near paragliding Mussoorie Beel

उपरोक्त स्थल नगर पालिका के स्वामित्व की है जिस पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु [illegible] नगर पालिका स्वामित्व की भूमि पर पालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः [illegible] उपरोक्त स्थानो पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु पालिका को कोई आपत्ति नही है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, मसूरी।